

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Revision Case No.- 30/2025

Navin Kumar Das Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors. Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	26.9.26	<u>आदेश</u> प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद समाहर्ता, अररिया के जन वितरण प्रणाली अपील वाद सं०-08/2019-20 में दिनांक-20.6.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-21436/2019 में दिनांक-25.04.2025 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। मामले का सारांश यह है कि :- - आवेदक जन वितरण प्रणाली विक्रेता थे, जिसका अनुज्ञप्ति सं०-4F/1995 था। - प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा पत्रांक-83 दिनांक-04.04.2012 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक विगत कई महीना से अवकाश पर है, जिसके बावजूद आवेदक के स्तर से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, फारबिसगंज को इस संबंध में कोई लिखित सूचना नहीं दिया गया। उक्त के आलोक में आवेदक से दिनांक-12.04.2012 तक स्पष्टीकरण की मांग की गई, परन्तु आवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। - अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, फारबिसगंज के ज्ञापांक-650, दिनांक-17.04.2012 द्वारा आवेदक के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं०-4F/1995 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया के न्यायालय में आपूर्ति अपील वाद सं०-08/2019-20 दायर किया गया, जिसे जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा कालबाधित होने के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया। आवेदक का कथन :- - आवेदक द्वारा अस्वस्थ रहने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के समक्ष अवकाश आवेदन दिनांक-06.12.2010 को दाखिल किया गया। - उनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु कोई सूचना उनको उपलब्ध नहीं करायी गयी और बिना नोटिस किये ही उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। - आवेदक द्वारा स्वस्थ होने के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के समक्ष आवेदन समर्पित करते हुए आवंटन की मांग	



Qu

की गयी थी, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज ने पत्रांक-720, दिनांक-13.12.2015 द्वारा आवेदन को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, फारबिसगंज को अग्रसारित किया था।

समर्पित दस्तावेजों की सूची :-

- अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज का ज्ञापांक-650, दिनांक-17.04.2012
- अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज को प्रेषित आवंटन एवं अवकाश हेतु आवेदन
- अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज का पत्रांक-720, दिनांक-13.12.2015
- चिकित्सा पूर्जा

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के पत्रांक-650, दिनांक-17.04.2012 द्वारा पारित आदेश के अनुसार-

- नवीन कुमार दास विगत कई महीनों से अवकाश पर थे, परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उनके द्वारा अवकाश विस्तार/वापस करने हेतु कोई लिखित सूचना नहीं दी गयी, जिस कारण आवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब भी समर्पित नहीं किया गया।
- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निदेश के अनुसार किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को विशेष परिस्थिति में लगभग 01 माह का अवकाश दिया जा सकता है। लेकिन आवेदक उच्चाधिकारी को बिना सूचना दिये ही 01 माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहे। साथ ही उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देना एवं खाद्यान्न का मूल्य जमा नहीं करना घोर लापरवाही को दर्शाता है। उक्त के आलोक में आवेदक का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है।

आवेदक द्वारा दिनांक-06.12.2010 को अवकाश हेतु समर्पित आवेदन की छायाप्रति के अनुसार भी आवेदक ने केवल एक महीने के अवकाश की स्वीकृति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध किया था, जबकि उनकी अनुज्ञप्ति दिनांक-17.04.2012 को रद्द की गयी, जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहे और इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी अथवा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उनके द्वारा नहीं दी गयी।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।



आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।



आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

